# खण्ड - III

## आयोजना परिव्यय 2002-2003

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2002-2003 की केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी हैं जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजटेत्तर संसाधन (आ.ब.सं.) दोनों शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्य-निष्पादन का अधिक विस्तृत विश्लेषण निष्पादन-बजट में दिया जाएगा जो विकास-संबंधी व्यय से जुड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से पेश किया जाएगा। विवरण 12 में आयोजना आवंटन मंत्रालय/विभाग-वार दिए गए हैं। विवरण 13 में विकास-क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-शीर्षों द्वारा आयोजना-परिव्यय और विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए है। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 केन्द्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरों सहित व्यवस्था दर्शाता है।

2001–2002 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के मुकाबले 2002-2003 के आयोजना परिव्यय में की गई व्यवस्था इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

| | बजट अनुमान 2001-2002 | संशोधित अनुमान 2001-2002 | बजट अनुमान 2002-2003 |
|---|---|---|---|
| केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट व्यवस्था | 59456.00 | 60276.00 | 66870.92 |
| सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजटेत्तर संसाधन | 70725.34 | 67579.57 | 77166.85 |
| **केन्द्रीय आयोजना परिव्यय** | **130181.34** | **127855.57** | **144037.77** |
| **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता** | **40644.00** | **38878.14** | **46629.08** |

### कृषि और संबद्ध गतिविधियां

इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 3733.13 करोड़ रुपए है। मुख्य रूप से तिलहन और दाल कार्यक्रमों, फसलोन्मुखी कार्यक्रमों, पादप संरक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण, वर्षासिंचित खेती, बीज और उर्वरक, कृषि विपणन, कृषि अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी, भंडारण सुविधाओं सहित फसल बीमा और बागबानी संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटन किया गया है। सहकारिता के क्षेत्र में मुख्य रूप से सहकारी शिक्षा/प्रशिक्षण, विकासमूलक गतिविधियों के लिए एन.सी.डी.सी. के माध्यम से सहायता, विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए किसानों को दीर्घावधिक कृषि ऋण प्रदान करने, कम विकसित राज्यों में सहकारी समितियों को सहायता देने और उन किसानों, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋण की वापसी-अदायगी नहीं कर सकते हैं, की सहायता देने के लिए प्रावधान किया गया है। कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए परिव्यय को 684 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं और अनुसंधान परियोजनाओं, स्कीमों तथा गतिविधियों के लिए व्यय की पूर्ति की जा सके।

### ग्रामीण विकास

इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 6420.72 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक हैं-ग्रामीण विकास से सम्बद्ध विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण तथा सड़क और पुलें।

आईडब्ल्यूडीपी एक अनवरत योजना है, जिसके तहत प्रमुख परियोजनाओं को लघु जल-संभरण आधार पर लिया जाता है। इन परियोजनाओं को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 11:1 के अनुपात में वहन करते हुए निधियां प्रदान की जाती हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसका निर्माण भूमि, जल तथा मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की रणनीति के आधार पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिए किया जाता है। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसे केन्द्र और राज्यों द्वारा समतुल्य आधार पर निधि प्रदान की जाती हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 1999 से वर्ष 2000-01 के दौरान स्वीकृत नयी परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य आवंटन का वहन 75:25 के आधार पर किया जाता है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 183 जिलों में 971 विकास खण्डों में चलाया जा रहा है

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) का उद्देश्य दीर्घावधि में पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनः बहाली के लिए भूमि, जल, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, विकसित और उनका प्रयोग करने के लिए मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना और सिंचाई, वनारोपण, शुष्क भूमि खेती आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर भी बढ़ाना है। वर्ष 1995-96 से मरुस्थल क्षेत्रों को तीन श्रेणियों यथा-उष्ण रेतीला शुष्क क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र और शीत शुष्क क्षेत्र के अधीन अभिज्ञात किया गया है। दिनांक 1.4.1999 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर आवंटन की भागीदारी की जाती है। तथापि, दिनांक 1.4.1999 के पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पुराने पैटर्न के आधार पर वित्तपोषित किया जाता रहेगा। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 232 प्रखण्डों में चल रहा है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 656 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए जिला ग्रामीण उत्पादन विपणन केन्द्र के लिए, 20 करोड़ रुपए बीपीएल सर्वेक्षण हेतु, 1 करोड़ रुपए निजी-सरकारी भागीदारी के लिए तथा 54 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु निर्धारित करना शामिल है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1.4.1999 से अस्तित्व में आयी। इस परियोजना को एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है ताकि यह ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढांचागत विकास, बैंक ऋण हेतु वित्तीय सहायता तथा सब्सिडी और विपणन सहायता आदि को अपने में शामिल कर सके। अतीत के अनुभवों से भी यह बात सामने आई है कि यदि व्यक्तिगत आधार के बजाय समूह आधार पर प्रयास किए जाएं तो सफलता की दर ऊंची होती है। इसलिए यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने पर जोर देता है। यह पहचान किए गए मुख्य कार्यकलापों में लधु उद्यमों के विकास में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देता है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निकटता से शामिल तथा जुड़ी रहती हैं, जो स्वरोजगार के चयन तथा पश्च-परियोजना मॉनीटरिंग आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के साथ अपना कार्य प्रारम्भ करती है। निधियों का वहन केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीब परिवार शामिल हैं। लक्षित समूह के अन्तर्गत, योजना के मार्गनिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

**ग्रामीण रोजगारः** केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की

चल रही स्कीमों को विलय कर दिनांक 25.9.2001 को प्रारम्भ किया गया है। नए कार्यक्रम के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही स्थायी समुदाय सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना तथा इन क्षेत्रों में ढांचागत विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना में कामगारों को आंशिक मजदूरी के रूप में 5 किग्रा. प्रति मानव दिवस की दर पर खाद्यान्न का वितरण करना शामिल है,नकद राशि का भाग केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा और केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्यान्नों की निःशुल्क आपूर्ति करेगी। यह कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कुल संसाधनों का प्रति पचास प्रतिशत भाग दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। प्रथम चरण को जिला तथा मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों तथा खाद्यान्नों का पचास प्रतिशत भाग का वितरण जिला परिषद तथा मध्यवर्ती पंचायत के मध्य 40:60 के अनुपात में किया जाएगा। द्वितीय चरण को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा, इस चरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण आवंटन का वितरण ग्राम पंचायतों में डीआरडीए/जिला परिषदों के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पंचायत राज्य संस्थाओं के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरूआत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा यथा अधिसूचित सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने हेतु आठ सूखा प्रभावित राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में रोजगार आश्वासन योजना के भाग के रूप में जनवरी, 2000-01 में की गयी थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बाद में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की चल रही किसी भी ऐसी योजना का एक भाग बनने हेतु विस्तारित किया गया जिसे सूखा, बाढ़, चक्रवात अथवा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं की अवधि के दौरान अधिसूचित जिलों में मजदूरी रोजगार सृजन हेतु क्रियान्वित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम को प्रारम्भ में दिनांक 13.6.2001 तक समाप्त होना था। बाद में इसे दिनांक 31.12.2001 तक बढ़ाया गया और इसे पुनः दिनांक 31.3.2002 तक ऐसे राज्यों/क्षेत्रों के सम्बन्ध में विस्तारित किया गया, जिन्हें औपचारिक रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित के रूप मं अधिसूचित किया गया था।

**अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमः** वर्ष 2002-03 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 268.50 करोड़ रुपए है, जिसमें डीआरडीए प्रशासन हेतु (198 करोड़ रुपए) प्रशिक्षण स्कीम हेतु (21.60 करोड़ रुपए) सीएपीएआरटी स्कीमों आईईसी और मॉनीटरिंग व्यवस्था हेतु (48.90 करोड़ रुपए) की व्यवस्था करना शामिल है।

## सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

**बड़ी और मध्यम सिंचाईः** इस भाग के अन्तर्गत रखा गया परिव्यय आंकड़ा संग्रहण, नदी-घाटियों में अतिरिक्त मुख्य जल विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई क्षेत्र निर्माण हेतु अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियां निष्पादित करने के लिए है। वर्ष 2002-2003 के लिए रखा गया कुल परिव्यय इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों की आवश्यकताओं को कवर करता है। इसमें उत्तर-पूर्वी तथा सिक्किम हेतु 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण हेतु 1.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता पुनरूद्धार पैकेज को अन्तिम रूप देने के अधीन उपलब्ध कराई गई है। इसमें जल विज्ञान परियोजना जिसे विश्व बैंक से वित्तपोषित किया जा रहा है, के लिए 4.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है।

**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमः** यह कार्यक्रम चालू सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए वर्ष 1996-97 से चल रहा है। इनमें पर्याप्त प्रगति हुई है तथा ये परियोजनाएं राज्य सरकारों के संसाधन क्षमता से परे हैं। वित्त मंत्रालय के वर्ष 2002-2003 की अनुदान सं. 30 में 2800 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गयी है। जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा इस अनुदान से राशि जारी की जाती है।

वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ किए गए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 202 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी के लिए कार्यक्रमों के दो वर्गों (i) बाढ नियंत्रण स्कीम/कार्यक्रम जिन्हें केन्द्रीय मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु विभिन्न राज्यों को सहायता के तहत 151.02 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है।

## ऊर्जा

**विद्युत** : वर्ष 2002-2003 के लिए 14823.05 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (3506 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम (2467.70 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम (840.66 करोड़ रुपए), उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम (175.28 करोड़ रुपए), नाथपा-झाकरी विद्युत निगम (653 करोड़ रुपए), टिहरी पन बिजली विकास निगम (1139.80 करोड़ रुपए), भारतीय विद्युत ग्रिड निगम (3312 करोड़ रुपए), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (90 करोड़ रुपए) और विद्युत मंत्रालय की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए है।

(i) **संबद्ध पारेषण लाइनों सहित तापीय और पन बिजली उत्पादनः** 3506 करोड़ रुपए का प्रावधान राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम, तालचर, चरण II (2000 मेगावाट), सिम्हाद्री (1000 मेगावाट) और नई स्कीमों रामागुण्डम-III (500 मेगावाट), रिहंद II (1000 मेगावाट), सीपत-I (1980 मेगावाट), कोलडैम, बाढ़ और कहलगांव-II के लिए किया गया है। दामोदर घाटी निगम के लिए आयोजना परिव्यय 840.66 करोड़ रुपए है। वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान में बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम की निम्नलिखित चल रही और नई परियोजनाओं के लिए 1341.81 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में सहायता के लिए 2467.70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैः जिसमें दुलहस्ती (390 मेगावाट), धौलीगंगा (280 मेगावाट),पर्वती-II (800 मेगावाट),कोयलकारो, लोकतक डाउन स्ट्रीम और तिस्ता चरण-V नर्मदा पन विकास निगम, सुबानसिरी लोअर (2000 मेगावाट), सेवा-II (120 मेगावाट), तिस्ता लो डैम-III (132 मेगावाट), तिस्ता लो डैम-II (168 मैगावाट) और नई परियोजनाओं का सर्वेक्षण व जांच शामिल है।

नाथपा झाकरी, टीएल किशनपुर-मोगा, टिहरी, टीएल, यूएलडीसी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र, जेपोर-गाजुवाका, विंध्याचल एनई एचवीडीसी बी/बी सीसारम, एचवीडीसी (बैक-टू-बैक), कोल्हापुर मापुसा प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम, पूर्व-पश्चिम अन्तःक्षेत्रीय लाइनों, मदुरै-त्रिवेन्द्रम, मेरामुंडालुई-जेपोर, बिहार ग्रिड सुदृढ़ीकरण, रामागुण्डम-III और तालचर-II के कार्यान्वयन तथा संबद्ध उप-कोडों तथा साथ ही भार प्रेषण और संचार सुविधाओं के निर्माण के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 3312 करोड़ रुपए के वार्षिक आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

अन्य प्रावधानों में त्रिपुरा गैस आधारित चक्रीय विद्युत परियोजना (500 मेगावाट), कामेंग पनबिजली परियोजना (600 मेगावाट), कोयली चरण-II, तुरियाल पनबिजली (60 मेगावाट), तुईबई (210 मेगावाट) और तिपाईमुख (1500 मेगावाट) के लिए नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को उसके आयोजना परिव्यय को सहायता देने के लिए 175.28 करोड़ रुपए शामिल हैं। पीएफसी को ब्याज संबंधी सब्सिडी के रूप में 300 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। टिहरी जल विद्युत विकास निगम को उसके 1139.80 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय को सहायतार्थ 146 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है। ग्रामीण निर्धनों को सिंगल प्वाइंट कनेक्शन देने के लिए कुटीरज्योति कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

उर्जा क्षमता ब्यूरो के लिए ऊर्जा संरक्षण प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और शिलांग में उत्तर-पूर्वी भार प्रेषण केंद्र स्थापित करने के लिए भी आवंटन किए गए हैं।

**पेट्रोलियमः** वर्ष 2002-2003 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों का अनुमोदित आयोजना परिव्यय 17988.49 करोड़ रुपए है। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस (प्राकृतिक गैस की ढुलाई सहित) के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 11366.26 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 5816.90 करोड़ रुपए, पेट्रो-रसायनों के लिए 792.23 करोड़ रुपए और इंजीनियरी यूनिटों के लिए 13.00 करोड़ रुपए की राशियां शामिल हैं। ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओआईएल आदि द्वारा किए गए निवेश परिव्यय के मुख्य संघटक हैं। इस परिव्यय का वित्तपोषण संपूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 17988.49 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा और कोई बजटीय सहायता संकल्पित नहीं है।

**कोयला और लिग्नाइटः** भारतीय अर्थव्यवस्था को अवसंरचनात्मक समर्थन देने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2002-2003 के लिए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 3198.75 करोड़ रुपए रखा गया है। आयोजना परिव्यय की पूर्ति तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अंशतः 327 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और अंशतः आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (2871.75 करोड़ रुपए) द्वारा की जाएगी।

**ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्त्रोतः** नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में दूरस्थ ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को विकेंद्रीकृत तरीके से पूरा करने में ऊर्जा प्रदान करने और स्थानीय रूप से उपलब्ध असमाप्य संसाधनों का प्रयोग करते हुए ग्रिड गुणवत्ता विद्युत उत्पादन बढ़ाने की भी संभावना और दक्षता है। ये प्रौद्योगिकियां पर्यावरण अनुकूल, प्रकृति में मॉड्यूलर है और इनमें निम्न निर्माणावधि मौजूद है। इस प्रकार अनुसंधान और विकास, तकनीकी और वित्तीय निविष्टियों पर अधिक बल देकर इस क्षेत्र का विकास करना अनिवार्य है।

## उद्योग एवं खनिज

**लघु उद्योगः** इस शीर्ष में लघु उद्योगों एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संवर्धन के लिये परिव्यय शामिल है। वर्ष 2002-03 के लिये परिव्यय 435 करोड़ रुपए है, जिसमें लघु उद्योग यूनिटों को संपार्श्विक निःशुल्क ऋण के लिये ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु 200 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की योजना स्कीमों, जिनके अंतर्गत लघु उद्योग यूनिटों को किराया खरीद आधार पर मशीनें एवं कच्चा माल प्रदान किया जाता है, के लिये 177 करोड़ रुपए शामिल है। लघु उद्योग यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये पूंजी सब्सिडी आबंटित की गई है इसमें छोटे और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिये परिव्यय भी शामिल है। वर्ष 2002-03 में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए परिव्यय 580.00 करोड़ रुपए है, जिसमें खादी और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 392.00 करोड़ रुपए शामिल हैं और यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार-अवसर प्रदान करता है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना हेतु शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपना कारोबार उद्योग शुरू करने के लिये 152.10 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रक में नारियल जटा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 16.20 करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं।

**लौह एवं इस्पात उद्योगः** इस्पात मंत्रालय के लिये 2002-2003 हेतु आयोजना परिव्यय 1409 करोड़ रुपए का है, जिसका वित्तपोषण 12 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एवं 1397 करोड़ रुपए के बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा। कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रुपए की धनराशि 2002-03 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. (सेल) के लिये प्रदान की गई है, जिसे इसके अपने आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा। सेल के अंतर्गत स्कीमों एवं कार्यक्रमों के लिये प्रदत्त परिव्यय के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः- (1) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये 120 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। इसमें 57 करोड़ रुपए सिन्टर प्लांट III के लिये और शेष धनराशि अन्य चालू स्कीमों, परिवर्धन/परिवर्तन प्रतिस्थापन स्कीमों और पूरी की गई स्कीमों के संविदा समापन के बकाया भुगतान के लिए शामिल है। (2) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिये 70 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। जिसमें पुराने एवं अप्रचलित उपस्कर को बदलना तथा प्रौद्योगिकी सुधार शामिल है। (3) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिये 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। (4) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये तरल इस्पात उत्पादन, स्लैब उत्पादन बढ़ाने, तरल इस्पात के बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन में सुधार करने, उर्जा खपत में कमी करने और श्रम उत्पादकता आदि में वृद्धि के लिये परिव्यय में 130 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की गई है। (5) विश्वेश्वरैय्या लौह एवं इस्पात संयंत्र, "सेल" के कच्चा माल-प्रभाग, केन्द्रीय विपणन संगठन, लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, "सेल" के कार्पोरेट-कार्यालय, भारतीय लौह एवं इस्पात कं. बर्नपुर जिसमें कुल्टी, "इस्को" एवं महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमि. एम.ई.एल. भी शामिल हैं, के लिये विभिन्न चालू परियोजनाओं एवं अनुसंधान कार्य हेतु 78 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है। (6) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र हेतु बजट अनुमान 2002-03 में चालू स्कीमों, नई स्कीमों, अप्रचलित उपस्कर के परिवर्धन/परिवर्तन/बदली, कस्बा निर्माण, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिये 55 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है (7) एम.एस.टी.सी. लिमि. के लिये कार्नर-कास्टिंग, पिग-आयरन, डक्टाइल स्पन, एस.जे.के. स्टील कार्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम पाइप परियोजना, अप्रचलित उपस्कर के परिवर्धन/परिवर्तन, कस्बा निर्माण, अनुसंधान एवं विकास आदि हेतु 20 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है। कुद्रेमुख लौह खनन कंपनी तथा नई योजनाओं (प्राथमिक खनन विकास), हासन और मंगलौर के बीच रेलवे लाईन बिछाने में भागीदारी तथा पुराने और घिसेपिटे उपकरणों और मशीनरी की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए 133 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान रखा गया है। (9) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को विभिन्न चालू योजनाओं के लिए 527.05 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

**अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः** वर्ष 2002-03 के लिये 1243.01 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है, जिसमें 1019.32 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजटेत्तर संसाधन शामिल हैं। कुल परिव्यय का अलग-अलग ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

(क) एल्यूमीनियम (i) नेलको के लिए 900 करोड़ रुपए;
(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) के लिए 25 करोड़ रुपए;
(ग) जस्ता और सीसा (हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड) के लिये 115 करोड़ रुपए;
(घ) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 3 करोड़ रुपए;
(ड़) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण 168 करोड़ रुपए;
(च) भारतीय खान ब्यूरो 18 करोड़ रुपए;
(छ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 8.50 करोड़ रुपए;
(ज) सिक्किम खनन निगम 1.32 करोड़ रुपए;
(झ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के लिए निर्माण कार्यक्रम 7 करोड़ रुपए।

**उर्वरक उद्योगः** वर्ष 2002-03 के लिए 899 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें से 619 करोड़ रुपए की राशि आंतरिक तथा बजटबाह्य संसाधनों से पूरी की जाएगी और 280 करोड़ रुपए की शेष राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। 899 करोड़ रुपए का परिव्यय प्राथमिक तौर पर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (19 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (18 करोड़ रुपए), हिंदुस्तान उर्वरक निगम (172 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (17.50 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (35 करोड़ रुपए), पारादीप फास्फेट लिमिटेड (6 करोड़ रुपए), प्रोजेक्टस एंड डेवलेपमेंट लिमिटेड (1.50 करोड़ रुपए), पाइराइट, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (0.20 करोड़ रुपए) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (125 करोड़ रुपए), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (276 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (180 करोड़ रुपए), पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं और स्कीमों हेतु (28 करोड़ रुपए) तथा अन्य योजनाओं (20.80 करोड़ रुपए) के लिए है।

280 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड (19 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (18 करोड़ रुपए), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स निगम (200 करोड़ रुपए), मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (15 करोड़ रुपए) तथा अन्य योजनाओं के लिए (20.80 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

**पैट्रोरसायन उद्योगः** वर्ष 2002-2003 के लिए रसायन और पैट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत पैट्रोरसायन उद्योग के लिए 144.51 करोड़ रूपए का आयोजना-परिव्यय रखा गया है तथा यह परिव्यय भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड के आं.बा.ब.सं.से 115 करोड़ रूपए तथा केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान से 24.50 करोड़ रूपए द्वारा जुटाए जाएंगे।

**रसायन और भेषज उद्योगः** वर्ष 2002-2003 के लिए 49.96 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता सहित 67.96 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस परिव्यय में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के लिए 24.10 करोड़ रूपए, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के लिए 3 करोड़ रूपए हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लिए 8.06 करोड़ रुपए, पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन्स टेक्नोलोजी लिमिटेड इन्सटीट्यूट के लिए 3.50 करोड़ रूपए, बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 5 करोड़ रूपए तथा राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के लिए 18.07 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

**इंजीनियरी उद्योगः** इंजीनियरी उद्योग अर्थात भेल, भारत भारी उद्योग निगम, हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, एच एम टी तथा इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के लिए 281.56 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है।

**दूरसंचार और इलैक्ट्रानिकी उद्योगः** वर्ष 2002-2003 के लिए 521.88 करोड़ रूपए का आयोजना परिव्यय रखा गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ एन आई सी(प्रौद्योगिकी परिषद परियोजना) के लिए 175.02 करोड़ रूपए- 5 करोड़ रूपए, औद्योगिक इलैक्ट्रानिकी संवर्धन कार्यक्रम- 3 करोड़ रूपए, सैंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड -5 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों को निर्णय संबंधी सहायता तथा योजना के लिए कम्प्यूटर संचार पर आधारित सूचना विज्ञान सेवाएं तथा संबंधित सुविधाएं प्रदान कर रहा है। एन आई सी ने राज्यों की राजधानियों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों में केंद्र स्थापित किए हैं। उनकी कम्प्यूटरीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुपर मिनी कम्प्यूटर लगाए गए हैं। जिलों में 8 से लेकर 16 टर्मिनल वाले पेंटीयम आधारित कम्प्यूटर लगाए गए हैं। उपरोक्त में से प्रत्येक स्थान पर उपग्रह आधारित कम्प्यूटर संचार तंत्र निकनेट के माध्यम से सभी कम्प्यूटरों को जोड़ने के लिए एक बृहद भू-केंद्र की स्थापना की गई है, मुख्य भू-केंद्र को एन आई सी दिल्ली में स्थापित किया गया है। निकनेट, नेशनल इन्फो हाईवे, एन आई सी के मौजूदा कम्प्यूटर संचार तंत्र के एक संवर्धित विस्तार के रूप में पूरी तरह प्रचालन में आ गया है। निकनेट महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं की मानीटरींग, डाटा आधारों से आंकड़ों की आनलाईन पुनःप्राप्ति, कम्प्यूटर संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा आपातकालीन संचार प्रणाली कार्य में सहायता प्रदान करने में सक्षम हो गया है।

वर्ष 2002-2003 के आयोजना परिव्यय में सेवाओं की गुणवत्ता और विविधता के निरंतर उन्नयन द्वारा एन आई सी के सभी प्रयोक्ताओं को कम्प्यूटर सहायता प्रदान करने, निकनेट आधारित भूमि रिकार्ड सूचना प्रणाली, जिला कार्यक्रमों में आधारिक निविष्टि, ग्रंथ सूची सूचना सेवा, कोर्ट-उच्च न्यायालयों के लिए आई एस कार्यक्रम तथा नेटवर्क विस्तार व उद्यम परियोजना, परियोजना निकसैट, माडलिंग, जी आई एस तथा डिजाइन कार्यक्रम के लिए प्रावधान रखा गया है। एन आई सी एस आई द्वारा संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए एक सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

**परमाणु उर्जा उद्योगः** वर्ष 2002-2003 के लिए आई एंड एम क्षेत्र हेतु 481.09 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है। आयोजना परिव्यय में 366.49 करोड़ रूपए बजटीय सहायता तथा 114.60 करोड़ रूपए की राशि विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, के आंतरिक संसाधनों से जुटाई गई है। बजटीय सहायता में गुरु जल संयंत्र,बड़ौदा, में प्रमुख संशोधन और नाभिकीय ईंधन काम्प्लैक्स द्वारा चालू योजनाओं को पूरा करने तथा दसवीं योजना की नई योजनाओं को शुरु करने के लिए प्रावधान रखा गया है। अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों के साथ-साथ परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय द्वारा संचालित परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए खनिजों का सर्वेक्षण, संभावनाओं तथा अन्वेषण से संबंधित कार्य शामिल हैं। इस परिव्यय में विभिन्न अस्पतालों और उद्योगों को आपूर्ति करने हेतु रेडियो-इसोटाप्स के उत्पादन के लिए बोर्ड आफ रेडिएशन एंड इसोटोप्स टेक्नोलाजी की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रावधान की राशि शामिल है। भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड के लिए भी बजटीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत डी ई ए - मेडिकल साइक्लोट्रोन संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए सांकेतिक प्रावधान भी शामिल है। यह भी प्रस्ताव है कि भारतीय इलेक्ट्रोनिक लि. को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए बजटीय सहायता परिव्यय में से सहायता प्रदान करना जारी रखा जाए।

**अन्य उद्योगः** वर्ष 2002-2003 के लिए 194.90 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है, यह मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को अनुदान देने के लिए है ताकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें जिससे उनकी सक्षमता में सुधार आए। इसके अंतर्गत, औद्योगिक पुनर्गठन/तालाबन्दी से प्रभावित श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने तथा आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के परिणामस्वरूप उद्योगों द्वारा छंटनी, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनः तैनाती के संबंध में श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी व्यवस्था है।

## परिवहन

**सड़क परिवहन और राजमार्गः** आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने और अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये सड़क तंत्र का विकास एवं उचित अनुरक्षण महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण आधार सुविधा क्षेत्रक में निवेश को बढ़ाने के लिये इस क्षेत्रक को कर रियायत देकर बजटीय सहायता बढ़ाई जा रही है। नीचे की सारणी में सड़क क्षेत्रक के लिये समग्र बजटीय सहायता को दिखाया गया हैः-

*(करोड़ रुपए)*

**मांग सं0 76-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

| | क्षेत्र | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **सड़क क्षेत्र** | | | |
| 2. | **प्रभाग-वार आवंटन** | | | |
| | **सड़क स्कंध** | 2559.00 | 800.97 | 3359.97 |
| | एनएचएआई | 4003.00 | ... | 4003.00 |
| | बीआरडीबी | 45.00 | 856.69 | 901.69 |
| | पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान | 243.00 | | 243.00 |
| | **जोड़** | **6850.00** | **1657.66** | **8507.66** |
| 3. | **कुल बजट का बंटवारा** | | | |
| | विदेशी सहायता-परियोजनाएं | 2126.80 | ... | 2126.80 |
| | प्रतिभागी निधियां | 31.00 | ... | 31.00 |
| | उपकर | 3080.00 | ... | 3080.00 |
| | अन्य बजट सहायता | 1369.20 | 1657.66 | 3026.86 |
| | पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधा**न** | 243.00 | | 243.00 |
| | **जोड़** | **6850.00** | **1656.66** | **8507.66** |
| 4 | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण **को निधि** | | | |
| | निवेश (उपकर निधि से) | 2000.00 | ... | 2000.00 |
| | एनएचएआई को ईएपी (अनुदान) 1602.00 | ... | 1602.00 | |
| | एन एच आई को प्रतिभागी निधियां... | ... | ... | |
| | एनएचएआई को विदेशी सहायता परियोजनाएं ऋण (विश्व बैंक-III) | 401.00 | ... | 401.00 |
| | **जोड़** | **4003.00** | **...** | **4003.00** |
| 5 | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ईएपी का ब्यौरा | | | |
| | विश्व बैंक का ऋण | 1232.00 | ... | 1232.00 |
| | एशियाई विकास बैंक ऋण | 583.00 | ... | 583.00 |
| | जेबीआईसी ऋण | 188.00 | ... | 188.00 |
| | **जोड़** | **2003.00** | **...** | **2003.00** |

**केन्द्रीय सड़क निधि से/को अन्तर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह**

| **मद** | **अन्तर्प्रवाह** | **बहिर्प्रवाह** |
|---|---|---|
| केन्द्रीय सड़क निधि | 6030 | |
| राज्यों को अनुदान राशि | | 944.84 |
| अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान | | 95.00 |
| संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान | | 35.16 |
| अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान | | 5.00 |
| एनएचएआई में निवेश | | 2000.00 |
| रेलवे | | 450.00 |
| ग्रामीण सड़कें | | 2500.00 |
| **जोड़** | **6030.00** | **6030.00** |

**नौवहनः** भारतीय नौवहन तथा पोत निर्माण उद्योग के विकास तथा विस्तार के लिए वर्ष 2002-03 में 1562.26 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, इसमें भारतीय नौवहन निगम के लिए 1332.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है जो 'आईईबीआर' से प्राप्त होती है।

**नागर विमाननः** नागर विमानन हेतु 2521.19 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। बजटीय सहायता के रूप में 53.12 करोड़ रुपए की राशि अमृतसर स्थित हवाई पत्तन के उन्नयन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने और सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास तथा जम्मू और कश्मीर, लेह तथा लक्षद्वीप के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए रखी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए क्रमशः 3.10 करोड़ रुपए और 7.69 करोड़ रुपए वर्ष 2002-03 के दौरान उनके आयोजना स्कीमों के व्यय की पूर्ति करने हेतु रखा गया है।

**सड़क और पुलः** वर्ष 2002-03 के लिए कुल परिव्यय 2500 करोड़ रुपए है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम हेतु 270 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी असम्बद्ध स्थानों को जिनकी जनसंख्या 500 से ज्यादा है, दसवीं योजना के अंत तक वर्ष भर अच्छी हालत में रहने वाली सड़कों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2000 में प्रारंभ किया गया था। पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल) तथा रेगिस्तानी इलाकों के संबन्ध में इस योजना का उद्देश्य 250 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले निवासियों की अच्छी सड़कों से जोड़ना है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना भी है। इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। निधियों के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं।

## संचार

**डाक सेवाएंः** बजट अनुमान 2002-03 में 150 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें 1500 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (1.39 करोड़ रुपए) तथा डाकघर खोलने (2.02 करोड़ रुपए), कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण/ नेटवर्किंग (67.02 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र (5 करोड़ रुपए), अनुसंधान तथा विकास (0.50 करोड़ रुपए), अध्ययन/सर्वेक्षण (0.50 करोड़ रुपए), कार्यालयों का कार्यकरण सुधार (5.54 करोड़ रुपए), एएमपीसी (24 करोड़ रुपए), यंत्रीकरण और डाक आवाजाही (0.30 करोड़ रुपए), कारोबार विकास (3.08 करोड़ रुपए), नए उत्पाद और सेवाएं (3 करोड़ रुपए), वित्तीय सेवा विकास (2 करोड़ रुपए), स्मार्ट कार्ड (1 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण (6.65 करोड़ रुपए) और भवन निर्माण हेतु (28 करोड़ रुपए) की व्यवस्था करना शामिल है।

**दूरसंचार सेवाएं तथा अन्य संचार सेवाएंः** भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टेलीकॉम इंजी. सेन्टर और सेंटर फार डवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स के लिए 18069.06 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था शामिल है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, वायरलैस मानीटरिंग संगठन, वायरलैस प्लानिंग कॉआरिडनेशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी आथोरिटी आफ इंडिया तथा टेलीकाम डिस्प्यूट सेटिलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 1240.73 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। आईटीआई लि. के लिए 73 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। बीएसएनएल के लिए आयोजना प्रस्ताव में बजटीय सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

**सूचना प्रौद्योगिकीः** सूचना प्रौद्योगिकी विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभर रहा है। यह विभिन्न सेवाओं, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रस्ताव करती है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने में प्रेरक का कार्य करती है।

प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैंः

(क) **मीडिया लैब एशियाः** मीडिया लैब एशिया राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक तंत्र है जो जनसाधारण को बढ़िया प्रौद्योगिकियों के लाभ दिलाने के लिए समर्पित है। यह ज्ञान, स्वास्थ्य और उद्यम में शानदार चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10-वर्षीय योजना है।

(ख) **सामुदायिक सूचना केन्द्रः** यह स्कीम सात पूर्वोत्तर राज्यों व सिक्किम में, इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यसूची के भाग के रूप में राज्य सरकारों द्वारा चयनित स्थलों पर 487 ब्लाक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समुदाय को इंटरनेट पहुंच व सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराते हुए डिजिटल बंटवारे का घटाना है और नागरिकों को सरकार के सामने लाने की सुविधा देना है।

(ग) **विद्यावाहिनी और ज्ञान वाहिनीः** ये नए कार्यक्रम वर्ष 2002-03 में शुरु किए जा रहे हैं ताकि प्रभावी शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम उच्च शिक्षा की संस्थाओं से जोड़ना है ताकि प्रौद्योगिकी को कक्षा के कमरे तक ले जाया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दो विशेष कार्यक्रम, जिनमें ''विद्यावाहिनी'' को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध करने और ''ज्ञानवाहिनी'' को उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढ़ाचे के उन्नयन से जोड़ा जाएगा। इसका लक्ष्य दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक विद्यालय और शिक्षण संस्था को एकीकृत आवाज, आंकड़े और वीडियो नेटवर्क से जोड़ना है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी बहुपक्षीय मूल दक्षता और सक्षमता प्राप्त करे जो सूचना संचालन और संप्रेषण के लिए आवश्यक है।

(घ) **सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्चः** यह एक अनुसंधान और विकास संगठन है जो माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोगों के विकास के विशिष्ट लक्ष्य पर कार्य कर रहा है।

(ङ) **इलैक्ट्रानिक अभिशासनः** इसका उद्देश्य सरकार के आंतरिक कार्यकरण को सुव्यवस्थित चलाने के लिए बढ़ती हुई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना तथा नागरिकों व व्यवसायों के साथ अपने अंतरापृष्ठ में सुधार करना है।

(च) **जनसाधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (नागरिक पोर्टल सहित)ः** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जनसाधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एक कृतिक दल का गठन किया था जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इस कृतिक दल ने वर्ष 2008 तक कम से कम 100 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन और देश की संपूर्ण लंबाई व चौड़ाई को शामिल करते हुए 1 मिलियन इंटरनेट सक्षम आईटी कियोस्क साइबर कैफे स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

## विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

**परमाणु ऊर्जा अनुसंधानः** वर्ष 2002-2003 के लिए अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र के लिए आयोजन परिव्यय 535 करोड़ रूपए है, जो अनुसंधान और विकास जारी रखने और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परिवर्ती साइक्लोट्रॉन केंद्र, उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए अन्वेषण और अनुसंधान केंद्र के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केंद्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान और अन्य संस्थानों को दसवीं योजना की नई स्कीमों के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए हैं। इसके अंतर्गत विभाग के विभिन्न अनुसंधान और विकास यूनिटों के लिए आवास और ढाँचागत सुविधाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

**अंतरिक्ष अनुसंधानः** वर्ष 2002-2003 के लिए अंतरिक्ष विभाग के लिए अनुमोदित वार्षिक आयोजना परिव्यय 1950 करोड़ रूपए है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 931.12 करोड़ रूपए, जिसमें बड़े आईएसआरओ केंद्रों के लिए 298.57 करोड़ रूपए, अन्य बातों के साथ-साथ द्वितीय प्रक्षेपण पैड और प्रक्षेपण वाहन परियोजनाओं के लिए 447.79 करोड़ रूपए और भारतीय दूरसंचार उपग्रह परियोजनाओं, जी-सेट परियोजनाओं और मेटसेट तथा रिसेट-1 जैसी अन्य उपग्रह परियोजनाओं के लिए 184.76 करोड़ रूपए शामिल हैं।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 179.37 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) के लिए

72.24 करोड़ रूपए, विकास और शैक्षणिक संचार यूनिटों (डीईसीयू) के लिए 30.74 करोड़ रूपए और राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए 40.13 करोड़ रूपए शामिल हैं।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञान के लिए 61.90 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के लिए 19.82 करोड़ रूपए, संवेदक विकास के लिए 16.40 करोड़ रूपए और मेघा ट्रॉपिक्स के लिए 5.35 करोड़ रूपए शामिल हैं।

(iv) इनसेट प्रचालन के अधीन 747.90 करोड़ रूपए के प्रावधान में मास्टर कंट्रोल सुविधा (एमसीएम) के लिए 18.20 करोड़ रूपए, प्रक्षेपण सेवाओं सहित इन्सेट-3 उपग्रह परियोजना के लिए 294.70 करोड़ रूपए और प्रक्षेपण सेवाओं सहित इन्सेट-4 उपग्रह परियोजना के लए 435 करोड़ रूपए शामिल हैं।

(v) केंद्रीय प्रबंधन, विशेष स्वदेशीकरण और अंतराष्ट्रीय सहयोग के लिए 29.71 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

**समुद्रविज्ञान अनुसंधानः** वर्ष 2002-2003 के लिए परिव्यय 175 करोड़ रूपए है। इसमें ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 26.50 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें अंटार्टिका में भारतीय प्रयास जारी रखने और देश में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना पर होने वाला व्यय शामिल है। बहुधात्विक नोड्यूल के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए 20 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। समुद्र अवलोकन, विज्ञान और सूचना कार्यक्रम के लिए भी 25 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को उसके कार्यकलापों के लिए 23.40 करोड़ रूपए और समुद्र से औषधि, तटीय अनुसंधान पोत, तटीय समुद्र अनुवीक्षण और पूर्वानुमान प्रणाली, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता; महाद्वीपीय शेल्फ की रूपरेखा जैसे विभाग के अन्य चालू कार्यकलापों के लिए 48.60 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।

संपूर्ण भारतीय ईईजेड का व्यापक कटाव, गहराईमापन, गैस हाइड्रेट अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास, नए पोतों के अधिग्रहण और लक्ष्मी बेसिन मे भू-भौतिक अध्ययन जैसे कतिपय नए कार्यकलापों की दसवीं पंचवर्षीय योजना में संकल्पना की गई है और वर्ष 2002-2003 में इन कार्यकलापों के लिए 32.50 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।

**अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानः** वर्ष 2002-2003 के लिए अनुमादित परिव्यय 1228.80 करोड़ रूपए है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की आयोजना स्कीमों (440 करोड़ रूपए), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (615 करोड़ रूपए) और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (225 करोड़ रूपए) के लिए परिव्यय रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन परिव्यय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अग्र और उभरने वाले क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए है। यह क्षेत्र पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरी मे विभिन्न विषयों के अतिरिक्त मिशन रूप मे इंस्ट्रूमेंटेशन विकास और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं से संबद्ध हैं। उद्यमशीलता सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर विधिवत बल दिया जा रहा है। विशेषकर नए और अन्तरविषयक क्षेत्रों में अनवरत आधार पर बढ़ी संख्या में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता दी जाती है।

**जैव-प्रौद्योगिकीः** वर्ष 2002-2003 में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के लिए अनुमोदित परिव्यय 225 करोड़ रूपए है। स्वास्थ्य, कृषि,चिकित्सा और उद्योग के क्षेत्रों में नई उभरती हुई संभावनाओं सहित जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रदर्शन पर लक्षित कार्यक्रमों को सहायता दी जाती रहेगी।

**पर्यटन :** वर्ष 2002-2003 के लिए परिव्यय 225 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है । पर्यटन के संवर्धन की मूल कार्यनीति उसे आर्थिक विकास के मुख्य साधन का स्थान देना और रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष और बहु प्रभावों का दोहन करना होगा । भारत की अद्वितीय सभ्यता पर आधारित एकीकृत पर्यटन सर्किट सृजित और विकसित करना ही कार्यनीति होगी ।

**विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन :** वर्ष 2002-2003 के लिए 2 करोड़ रूपए के आईईबीआर सहित परिव्यय 530 करोड़ रूपए है । इसमें ढांचागत विकास (330 करोड़ रूपए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (40 करोड़ रूपए), कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (62 करोड़ रूपए), निर्यात ऋण गारंटी निगम (50 करोड़ रूपए), बाजार पहुंच पहल - निर्यात अध्ययन (42 करोड़ रूपए) और अन्य (6 करोड़ रूपए) के लिए प्रावधान शामिल हैं ।

## सामाजिक सेवाएं

**प्राथमिक शिक्षा :** प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 में 4900 करोड़ रूपए का कुल आयोजना आवंटन किया गया है। महत्वपूर्ण आयोजना स्कीमों में शिक्षक शिक्षण, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान की पुनर्संरचना और पुनर्गठन शामिल हैं ।

**शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए) 1986 में जैसी संकल्पना की गई है उसके अनुसार शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केंद्र प्रायोजित स्कीम का प्रारंभ 1987 में व्यवहार्य संस्थात्मक अवसंरचना, उन्मुखीकरण के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन आधार, प्रशिक्षण और ज्ञान का अनवरत उन्नयन, देश में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता और शैक्षणिक कुशलता सृजित करना था। इस स्कीम के पांच संघटक हैं :-

(i) सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना;

(ii) अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और उनमें से कुछ का शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों के रूप में विकास करना;

(iii) राज्यों के शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण

(iv) विद्यालय अध्यापकों के लिए विशेष अभिमुखी कार्यक्रम और अध्यापक प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा पद्धति शुरु करना; और

(v) विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

**जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम में आयोजना और प्रबन्धन में सहभागिता प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है, छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिनका उद्देश्य विद्यालयों में भर्ती बढ़ाना और छात्रों की निरन्तरता बनाए रखना, पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या घटाना और ज्ञानार्जन में वृद्धि करना है, प्राथमिक शिक्षा में फिर से नई जान फूंकने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना भी है और इसमें ऐसी नीतियों को विकसित करने का प्रयास किया गया जो अनुकरणीय और सतत आधार पर चलने वाली हों। कार्यक्रम में इस समय 18 राज्यों में 271 जिलों को शामिल किया गया है।

**प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई):** देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए पौषणिक सहायता का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना और इसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषण में अभिवृद्धि करना था। कार्यक्रम का अन्तिम लक्ष्य पौष्टिक पके हुए प्रसंस्कृत भोजन की व्यवस्था करना है जिसमें 100 ग्राम गेहूं या चावल के बराबर कैलोरी हो और इसका वितरण पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से किया जाना है जिनको इस प्रयोजन हेतु संस्थागत प्रबन्ध विकसित करना है।

चूंकि अभी बहुत से राज्यों द्वारा पके हुए भोजन कार्यक्रम को अभी शुरू किया जाना है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आंतरिक आदेश पी आई एल संख्या. डब्ल्यू पी (सी) 196/2001 के अंतर्गत इन राज्यों को निदेश दिया है कि वे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 8-12 ग्राम प्रोटीन सहित न्यूनतम 300 कैलोरी वाले पके हुए भोजन की व्यवस्था करें। इस कार्यक्रम को लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें इस समय 6844 ब्लाकों के 7.40 लाख विद्यालयों में पढ़ने वाले 10.35 करोड़ बच्चों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

**सर्व शिक्षा अभियानः** यह मिशन के रूप में एक सर्वांगीण और अभिमुखी नीति द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह सामुदायिक दृष्टिकोण से प्रभावित योजना है तथा ग्रामीण शिक्षा योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श के साथ तैयार की जाती है जिला जो बुनियादी शिक्षा योजनाओं का आधार बनती हैं।

यह अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जाएगा जिसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक सार्वभौमिक नामांकन, वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक स्कूलिंग तथा 2010 तक आठ वर्ष की बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। इसके विशेष लक्ष्य निम्नलिखित हैंः-

(i) वर्ष 2003 तक स्कूलों में सभी बच्चों की भर्ती, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूल, स्कूल-वापसी कैम्प की व्यवस्था;

(ii) वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा पांच वर्ष की बुनियादी स्कूलिंग पूरी करना;

(iii) वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा आठ वर्ष की बुनियादी स्कूलिंग पूरी करना;

(iv) बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देना;

(v) वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर के तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर के सभी लिंग संबंधी तथा सामाजिक श्रेणी के अंतर को समाप्त करना; तथा

(vi) वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण।

सर्व शिक्षा अभियान में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु पौष्टिक सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम को छोड़कर बुनियादी शिक्षा क्षेत्र की सभी चालू स्कीमों को शामिल कर लिया जाएगा।

**कला और संस्कृतिः** वर्ष 2002-03 के लिए 227.10 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नाट्य, नृत्य तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, विज्ञान नगरों, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, सफदरजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है।

पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी गई है जिसे शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों में दर्शाया जाएगा।

**चिकित्सा और जन स्वास्थ्यः** वर्ष 2002-03 के लिए 1527 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा संक्रामक और अन्य बीमारियों के नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया किया गया है। इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। स्वास्थ्य पक्ष में, 2002-03 के परिव्यय में मुख्य आबंटन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (198 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें काला-अजार भी शामिल है (207 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (72.50 करोड़ रुपए), कैंसर अनुसंधान तथा नियंत्रण (60 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम सहित अंधता निवारण (82.50 करोड़ रुपए), टी बी नियंत्रण कार्यक्रम (110 करोड़ रुपए), संक्रामक रोग नियंत्रण (19.70 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम तथा मानसिक स्वास्थ्य (27 करोड़ रुपए), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (10 करोड़ रुपए) और अस्पताल तथा औषधालय (70.40 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य आसूचना, खाद्यान्न मिलावट की रोकथाम, औषधि मानक नियंत्रण संगठन, मादक द्रव्य नशा मुक्ति कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र के खतरों संबंधी तैयारी और प्रबंधन, पर्यावरण स्वास्थ्य जोखिम और आकलन, व्यावसायिक व्याधियों के नियंत्रण और उपचार कार्यक्रम, दूरस्थ और सीमान्तक जनजातीय और आदिवासी समुदायों के लिए चिकित्सा परिचर्या तथा औषधि और पीएफके तम्बाकू युक्ति सबंधी पहल के लिए क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता, सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु यूएनडीपी की प्रायोगिक पहल (180.79 करोड़ रुपए) के लिए रखे गए हैं। चिकित्सा के संबंध में चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहित आयुर्विज्ञान के विकास पर जोर दिया गया है जिसके लिये 2002-2003 के दौरान 404.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

**परिवार कल्याण :** परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार लाना है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम के रुप में जारी है। वर्ष 2002-2003 के लिए 4521 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

**जल आपूर्ति एवं सफाई :** 2359 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति बढ़ाकर देश में सभी ग्रामीण आबादियों के लिये पेयजल के प्रावधान की दिशा में राज्य सरकारों की सहायता के लिये सरकार वचनबद्ध है। इसीलिये सरकार गत वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति के लिये गत वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति के लिये वार्षिक केन्द्रीय परिव्यय उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है।

### आवास

**ग्रामीण आवास :** वर्ष 2002-03 में ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 4698.47 करोड़ रु. है।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता अनुदान देकर उन्हें सुधारना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को या उनके निकट संबंधी को भी प्रदान किया गया है, भले ही उनकी आय कुछ भी हो और वे ये शर्तें पूरी करते हों (i) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों; (ii) वह आवास-पुनर्वास की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत न आते हों; और (iii) वे बेघर हों या आवास उन्नयन के लिये आवास की आवश्यकता रखते हों। ये लाभ, अर्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिस सीमा तक वे इंदिरा आवास योजना की सामान्य पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और किसी अन्य आवास पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत न आते हों, प्रदान किए गए हैं। इन निधियों का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विकलांगों के हितों के लिए आरक्षित किया गया है। मैदानी इलाके में प्रत्येक मकान के लिए सहायता की सीमा 20,000/- रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22000/- रुपए निर्धारित की गयी है। वर्ष 1999-2000 से प्रति यूनिट 10,000/- रुपए की दर से अनुपयुक्त कच्चे मकानों को सुधारने की योजना भी आरम्भ की गयी है। इंदिरा आवास योजना की 20 प्रतिशत राशि इस शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित की जाती है।

इन निधियों की भागीदारी केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। दिनांक 1-4-1999 से आरम्भ की गयी ऋण-एवं-आर्थिक सहायता योजना अब प्रचालन में है और 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु है। पहले ये सरकार की इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं होते थे लेकिन इस प्रकार की पहल ने उन्हें अपने मकान होने की हकदारी प्रदान की है। पात्र परिवार को 10,000/- रुपए तक की सब्सिडी और 40,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण परिवार के ऋण की उपलब्धता को सुधारने के लिए 'हुडको' को इक्विटी पूंजी की सहायता भी मुहैया करायी जाती है। ऐसे इलाकों में जहां सफाई और पेय जल की आवश्यकताओं पर भी उचित ध्यान दिया जाना जरुरी है, समग्र रुप से बेहतर आवास मुहैया कराने के लिए दिनांक 1.4.1999 से समग्र आवास योजना नामक स्कीम आरम्भ की गयी है। लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों, सामग्री और डिजाइन आदि को संवर्धित करने और उन्हें प्रचलित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवासन और आवास विकास

की नवीन श्रृंखला नामक एक योजना भी 1.4.1999 से प्रचालन में है। इसके अलावा देश में ग्रामीण भवनों की स्थापना की एक स्कीम 1.4.1999 से शुरू की गई है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण एवं किफायती भवन सामग्रियों के उत्पादन के द्वारा कार्यकौशल बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1.4.1999 से एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की भी स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्रक में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामग्रियां शुरू की जा सकें और प्रौद्योगिकी, आवास एवं ऊर्जा संबंधी मुद्दों में सामंजस्य बिठाया जा सके जिसस एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर तथा सामुदायिक माध्यस्थता से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को सुलभ आवास प्रदान किये जा सकें।

**शहरी विकासः** वर्ष 2002-2003 के लिये 1635.27 करोड़ रु. के प्रावधान में लघु और मझोले कस्बों के लिये 105 करोड़ रु., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिय 55 करोड़ रु.,बड़ी शहरी स्कीमों के लिये 125 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें शहरी परिवहन अर्थात् दिल्ली मेट्रो रोड कार्पोरेशन के लिये 176 करोड़ रु. का प्रावधान भी शामिल है जो ओ.ई.सी.एफ. से दिल्ली मेट्रो रोड कार्पोरेशन को सहायता के माध्यम से दिये जायेंगे।

**सूचना एवं प्रचार तथा प्रसारणः** वर्ष 2002-2003 में सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रक के लिये 798.80 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें 463 करोड़ रु. की आई.ई.बी.आर. (आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधन) की धनराशि भी शामिल है। सूचना एवं फिल्म क्षेत्रक में मीडिया यूनिटों के लिये प्रदत्त 55 करोड़ रु. के आबंटन में प्रेस सूचना ब्यूरो, भारतीय जन संचार संस्थान, विज्ञान एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारतीय प्रेस कौंसिल, प्रकाशन प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, संगीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, पंजीकार-भारतीय समाचार पत्र, सूचना भवन एवं मानव संसाधन विकासार्थ प्रशिक्षण के लिये आबंटन शामिल है। फिल्म प्रभागों, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, सत्यजीत रे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, फिल्म महोत्सव निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड,, भारत एवं विदेशों में फिल्म बाजार में भाग लेने के लिये भी आबंटन किये गए हैं। वर्ष 2002-2003 में प्रसारण क्षेत्रक के लिये आबंटन 745.80 करोड़ रु. का है जिसमें 335.80 करोड़ रु. की बजटीय सहायता भी शामिल है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्रः** विद्युत, सिंचाई,सड़कों और संचार क्षेत्रकों की स्कीमों एवं परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी विकासात्मक स्कीमों एवं परियोजनाओं की योजना, निष्पादन तथा मानिटरिंग से संबंधित मामलों की देखभाल के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का सृजन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के लिये 469.90 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के लिये 450 करोड़ रुपए भी शामिल है। यह निर्णय लिया गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों (कुछ को छोड़कर जिन्हें छूट दी गई है) को पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास के कार्यक्रमों/स्कीमों के लिये अपने केन्द्रीय योजना बजट का कम से कम 10% निर्धारित करना चाहिए।

## कल्याण

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याणः** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये वार्षिक योजना 2002-2003 में 1369.83 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में अनुसूचित जाति संघटक योजना (371.62 करोड़ रुपए), मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति (268 करोड़ रूपए), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (15.10 करोड़ रूपए), राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम (18 करोड़ रूपए), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 (31.50 करोड़ रूपए) के कार्यान्वयन, अपंग व्यक्तियों के लिये स्वैच्छिक क्रिया संवर्धन स्कीम (70 करोड़ रुपए), सफाई कर्मचारियों की कार्य मुक्ति एवं पुनर्वास (80 करोड़ रूपए), अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिये हास्टिल (43 करोड़ रूपए) के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु प्रावधान शामिल हैं।

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत योजना में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति की श्रेणी से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आत्मविश्वास निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन शामिल है। इन प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंन्द्रों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और एजेंसियों के पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मिला दिया गया है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को पुनश्चर्याः प्रशिक्षण देने की दूसरी योजनाएं भी कुछ प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में भी शुरू की गई हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

## जनजातीय कार्य

वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए 290 करोड़ रूपए के आवंटन में मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति, बुक बैंक और अ.ज.जा. विद्यार्थियों के गुणों का संवर्धन (68.49 करोड़ रूपए), प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा शानदार सेवाओं के लिए इनाम (32 करोड़ रूपए), जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना (14 करोड़ रूपए),राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम (14 करोड़ रुपए) का सहायता अनुदान शामिल है।

**श्रम और रोजगारः** वर्ष 2002-2003 के लिये परिव्यय 151.77 करोड़ रुपए है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण पर तथा कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिक की सुरक्षा पर बल दिया गया है और विभिन्न श्रमिक कल्याण स्कीमों एवं कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम,1995 के लिए प्रावधान किया गया है। असम में पौधारोपण कामगारों, केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए कर्मचारी परिवार पेंशन-सह जीवन बीमा योजना हेतु भी प्रावधान किया गया है।

## सामान्य सेवाएं

**न्याय प्रशासनः** 109 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यतया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायपालिका हेतु आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हेतु है। राज्यों से आशा की जाती है कि वे केन्द्र द्वारा किए गए अंशदान के समतुल्य प्रतिसंतुलित हिस्सा उपलब्ध कराएं। उपरोक्त आवंटन में राष्ट्रीय न्यायपालिका अकादमी, चार महानगरीय शहरों में शहरी सिविल न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण, परिवार न्यायालयों आदि की स्थापना भी शामिल है।